राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, तृतीय तल

सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, (छत्तीसगढ) पिन–492101

दूरभाष–0771–2511287, फैक्स–0771–2511288, ई–मेलः office.mdnrhm@gmail.com

पत्र क्रमांक / एनएचएम / 2026 / EC- Meeting/ GENS/1246/3254 नया रायपुर, दिनांक 25/11/2026

प्रति,

1. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय, छ.ग. नवा रायपुर,
2. प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन, छ.ग. नवा रायपुर,
3. संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, छ.ग. रायपुर,
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छ.ग. नवा रायपुर,
5. संचालक, महामारी रोग नियत्रंण कार्यक्रम, छत्तीसगढ नवा रायपुर,
6. परियोजना संचालक, राज्य एड्स नियंत्रण समिति, छ.ग. रायपुर,
7. क्षेत्रीय संचालक, RLTRI, प्रतिनिधि भारत सरकार, स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
8. संचालक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर,
9. संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर,
10. संचालक, शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ नवा रायपुर,
11. संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, छ.ग. नवा रायपुर,
12. संचालक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, छ.ग. रायपुर,

विषयः– **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 03.11.2026 की कार्यवाही विवरण के संबंध में।**

—— 00 ——

विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में 03.11.2026 को समय अपराह्न 03:00 बजे से स्थान–भूतल, मीटिंग हॉल, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर में आयोजित की गई थी। जिसका कार्यवाही विवरण (Minutes of the Meeting) की प्रति संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्न– कार्यवाही विवरण।

Digitally signed by
Ajay Shankar Kannoje
Date: 25-11-2026
13:02:17

उप संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

पत्र क्रमांक / एनएचएम / 2026 / EC- Meeting/GENS/1246/3254 नवा रायपुर दिनांक 25/11/2026

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त सह संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, सह मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं / मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. वित्त नियंत्रक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. अपर संचालक–वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

6. संयुक्त संचालक/उपसंचालक/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वास्थ्य सेवाये, की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त कार्यक्रम प्रबंधक/कार्यक्रम समन्वयक/राज्य सलाहकार, NHM, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. कार्यालयीन प्रति।

—सही—
उप संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / एन.एच.एम. / 2026 / 3255 नवा रायपुर, दिनांक 25/11/2026

राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 03.11.2026 का कार्यवाही विवरण (Minutes of the Meeting)

राज्य स्वास्थ्य समिति की वर्ष 2026–27 की कार्यकारिणी समिति की बैठक श्री अमित कटारिया, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में दिनांक दिनांक 03.11.2026 को समय अपरान्हः 03.00 बजे से स्थान–भूतल, मीटिंग हॉल, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर अटल नगर में संपन्न हुई, उक्त बैठक में 'परिशिष्ट – अ' के अनुसार सदस्यगण उपस्थित थे।

बैठक में समिति द्वारा एजेंडावार विस्तृत विमर्श उपरांत निर्णय निम्नानुसार है:–

एजेंडा क्र. 1

विषयः विगत बैठक दिनांक 22.07.2026 में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन के संबंध में।

निर्णयः समिति विगत बैठक दिनांक 22.07.2026 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन से अवगत हुई।

एजेंडा क्र. 02 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधनों हेतु सवैतनिक चिकित्सकीय अवकाश की स्वीकृति जिला एवं राज्य स्तर पर किये जाने के संबंध में।

निर्णयः समिति द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधनों हेतु प्रावधानित सवैतनिक चिकित्सकीय अवकाश की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार प्रावधान करने की सहमति दी गई है:–

1. ऐसे पद जिनकी भर्ती जिला स्तर से की जाती है (₹35,000/– से कम मानदेय वाले पद)–उक्त पदों हेतु सवैतनिक चिकित्सकीय अवकाश की स्वीकृति, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदाय किया जावे।
2. ऐसे पद जिनकी भर्ती राज्य स्तर से की जाती है (₹35,000/– एवं ₹35,000/– से अधिक मानदेय वाले पद) उक्त पदों हेतु सवैतनिक चिकित्सकीय अवकाश की स्वीकृति मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रदाय किया जावे।

(कार्यवाही–मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

एजेंडा क्र. 03 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संशोधित नवीन मानव संसाधन नीति–2026 के संबंध में।

निर्णयः कार्यकारिणी समिति के समक्ष संशोधित नवीन मानव संसाधन नीति–2026 प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नानुसार संशोधन करने के निर्देश दिए गए है :–

3.1 कंडिका कमांक 16 –भर्ती की प्रक्रिया के उप कंडिका कमांक 16.5–राज्य एवं जिला स्तर की भर्ती प्रकिया में निजी संस्था के कार्यानुभव को मान्य किया जाना है, परन्तु निजी संस्था से कार्य अनुभव हेतु अंक प्रदान नही दिया जावेगा। दावा आपत्ति हेतु समय दिया जायेगा, उप कंडिका कमांक 16.6 छत्तीसगढ़ शासन, लोक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र कमांक एफ 1–67/2021/सत्रह/एक दिनांक 07.12.2021 के अनुसार <u>कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त</u> एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदो पर चयन हेतु 10 बोनस अंक का लाभ दिये जाने हेतु जारी आदेश के परिपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत संविदा पदों की भर्ती में 10 अंक बोनस दिया जायेगा परन्तु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत अनुभव अंक (प्रतिवर्ष के मान से 3 अंक अधिकतम 5 वर्ष हेतु कुल 15 अंक) व कोविड (10 अंक बोनस) का अनुभव अंक जो अधिकतम हो कि गणना कर अधिकतम 15 अंक ही अनुभव का प्रदान किया जावेगा तथा उप कंडिका कमांक 16.7–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों को बिन्दु कमांक 16.4 तथा 16.6 दोनो कार्यानुभव से प्राप्त अनुभव के अंक (कोविड अंक सहित) इस तरह कुल अधिकतम 15 अंक से अधिक नहीं होगा तथा अन्य कर्मचारियों को कुल अनुभव अंक (कोविड अंक सहित) अधिकतम 10 अंक से अधिक नहीं हो सकता।

उपरोक्त कंडिका कमांक 16 के उप कंडिका कमांक 16.5, 16.6, 16.7 को विलोपित किया जाए।

3.2 **कंडिका कमांक 39 – स्थानान्तरण संबंधी नियम** के उप कंडिका कमांक 39.3– स्थानान्तरण के आवेदन हेतु न्यूनतम 03 वर्ष की निर्बाध सेवा अवधी सफलतापूर्वक पूर्ण होना अनिवार्य होगा में पूर्ववत् मानव संसाधन नीति–2018 में प्रावधानित अनुसार 05 वर्ष करने के निर्देश दिए गए है। उप कंडिका कमांक 39.10–निम्नलिखित प्रावधानो के अन्तर्गत संविदा कर्मचारी/अधिकारियों का स्थानांतरण की पात्रता होगी

- समान पद पर आपसी सहमति से।
- स्वयं के अथवा परिवार के सदस्य के गंभीर बीमारी/स्वयं के दिव्यांगता के आधार पर। (केवल जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदायित प्रमाण–पत्र के आधार पर) अथवा परिवारिक परिस्थितियों के आधार पर (पद रिक्त होने की स्थिति में)
- शासकीय/संविदा सेवारत पति–पत्नि के आधार पर।
- संविदा कर्मचारी के विरूद्ध अत्यंत गंभीर शिकायत/गंभीर अनियमितता/गंभीर लापरवाही/लोकायुक्त संगठन/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा पुलिस द्वारा संविदा कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने अथवा अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर।
- न्यायालयीन निर्णय के अनुक्रम में।

उपरोक्त बिन्दुओं में से स्वयं के अथवा परिवार के सदस्य के गंभीर बीमारी/ स्वयं के दिव्यांगता के आधार पर। (केवल जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदायित प्रमाण–पत्र के आधार पर) अथवा परिवारिक परिस्थितियों के आधार पर (पद रिक्त होने की स्थिति में) को विलोपित कर राज्य शासन के स्थानांतरण नीति के अनुसार –

- कैंसर जैसी टर्मिनल तथा अत्यंत गंभीर बीमारी, किडनी खराब होने के कारण डायलिसिस करवाने या ओपन हार्ट सर्जरी के कारण नियमित जांच कराना आवश्यक हो और वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर ऐसी सुविधा उपलब्ध न हो तो जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर कर्मचारी द्वारा स्थानांतरण चाहने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा।
- ऐसे कर्मचारी को जिनके पति/पत्नी एवं पुत्र/पुत्री मानसिक निःशक्तता, स्वलीन (Autism) अथवा बहुआयामी निःशक्तता से पीडित है को स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने के संबंध में विचार किया जा सकेगा, जहां निःशक्तता से पीडित का उपचार एवं पुत्र/पुत्री को शिक्षा सुलभ हो सके, बशर्ते कि ऐसी निःशक्तता के उपचार/शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इस बारे में समुचित प्रमाण प्रस्तुत करें।
- स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे स्थानांतरण प्रशासकीय दृष्टि से भी उचित हो।

उपरोक्तानुसार नवीन मानव संसाधन नीति 2026 में संशोधन करने के निर्देश दिये गए तथा संशोधन पश्चात् समिति द्वारा नवीन मानव संसाधन नीति 2026 को लागू करने की सहमति प्रदान की गई।

(कार्यवाही–मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

एजेंडा क्र. 04 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत मानव संसाधन नीति में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

निर्णयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधनों हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013 लागू करने की सहमति प्रदान देते हुये निर्देश दिये गये है कि चिकित्सा परिचर्या हेतु प्राप्त होने वाले प्रकरणों को राज्य शासन के नियमानुसार सिविल सर्जन से परीक्षण कराकर CGHS दर के आधार पर वास्तविक लागत राशि का भुगतान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत Staff Welfare Fund मद में आर.ओ.पी. में स्वीकृत राशि से की जावेगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पश्चात् आर.ओ.पी. में राशि उपलब्ध न होने की स्थिति में शेष प्रकरणों का निराकरण आगामी वर्ष के वार्षिक कार्ययोजना के उक्त मद में स्वीकृत आर.ओ.पी. बजट से किये जाने तथा इस हेतु आवश्यक बजट राशि की गणना कर आगामी वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्ताव सम्मिलित करने निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही–मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

एजेंडा क्र. 05 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय (बस्तर, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, रायपुर एवं रायगढ़) को वर्ष 2026–27 हेतु आंबटित आर.ओ.पी. में मानव संसाधन पदों को **Re-allocation** कर संबंधित मेडिकल कॉलेज जिले को आबंटित किये जाने के संबंध में।

निर्णयः प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय (बस्तर, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, रायपुर एवं रायगढ़) को वर्ष 2026–27 हेतु जारी आर.ओ.पी. में मानव संसाधन पदों को Re-allocation कर संबंधित मेडिकल कॉलेज जिले के आर.ओ.पी. में आबंटित कर राज्य व जिला स्तर से भर्ती करने के निर्देश दिये गये जिसमें Anaesthetists, Paediatrician, Medical Officer रिक्त पदों की भर्ती राज्य स्तर किया जाकर उनकी पदस्थापना संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में तथा Staff Nurse and Secretarial Assistant पदों की भर्ती संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के जिले द्वारा किया जाकर उनकी पदस्थापना संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में ही करने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही–मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

एजेंडा क्र. 06 **वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन के आधार पर 03 माह की नोटिस उपरांत सेवा वृद्धि किये गये अधिकारी/कर्मचारियों को आर.ओ.पी. में स्वीकृत अनुरूप वेतन वृद्धि का लाभ प्रदाय किये जाने के संबंध में।**

निर्णयः वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन के आधार पर ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्हे 03 माह कार्य सुधार नोटिस देने के पश्चात् उनका पुनः मूल्यांकन के आधार पर आगामी अवधि हेतु संविदा सेवा वृद्धि (55 एवं 55 अंक से अधिक अंक प्राप्त करने पर) की जाती है, तो उन्हें सेवा वृद्धि जारी आदेश माह से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदाय करने के निर्देश दिये गये हैं। यह निर्णय इस संबंध में जारी आदेश दिनांक से लागू होगा।

(कार्यवाही–मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

एजेंडा क्र. 07 **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत वंचित संविदा कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के घोषणा के परिपालन में 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि लाभ प्रदाय किये जाने के संबंध में।**

निर्णयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के घोषणा के परिपालन में 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि दिये जाने हेतु जारी पूर्व आदेश पत्र कमांक/एनएचएम/2025/GENS-10/137/2559 नवा रायपुर दिनांक 10.10.2025 में संशोधन कर माह जुलाई 2023 की स्थिति में कार्यरत वंचित समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को 01 जुलाई 2023 से 05 प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ प्रदाय करने हेतु समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

(कार्यवाही–मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

एजेंडा क्र. 08 **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत ऐसे कर्मचारियों जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में सदस्य है उक्त कर्मचारियों का भविष्य निधि राशि की कटौती के संबंध में।**

निर्णयः श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या CG-DL-E-17092026-276299 नई दिल्ली

17 सितम्बर 2026 जारी अधिसूचना अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के संदर्भ निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए है:–

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो पूर्व से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में सदस्य हैं उनका प्रतिमाह अधिसूचित सीमा मासिक मानदेय रु. 25,000/– अंतर्गत गणना प्रतिमाह रू. 3,000/– कर्मचारी अंशदान (12%) की कटौती कर प्रतिमाह रू. 3,000/– नियोक्ता का अंशदान (12%) मिलाकर कुल राशि 6,000/– रूपये उक्त कर्मचारी के कर्मचारी भविष्य निधि खाता में जमा किया जावे।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिनका वर्तमान मानदेय राशि प्रतिमाह ₹25,000/– से कम या समान है परन्तु जो वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में सदस्य नहीं हैं उक्त समस्त कर्मचारियों को सदस्य बनाया जाकर नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि राशि की गणना कर कटौती किया जाकर संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाता में जमा किया जावे।

उपरोक्तानुसार कर्मचारी भविष्य निधि हेतु अधिभार राशि की व्यवस्था मानव संसाधन मद में रिक्त पदों के विरूद्ध उपलब्ध शेष अव्ययित राशि (Unspent Balance) में से उपयोग किये जाने की समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(कार्यवाही–मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

एजेंडा क्र. 09 **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन अंतर्गत कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिनका मासिक मानदेय राशि 25000/– रूपये से अधिक है तथा जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सदस्य नही है, उक्त कर्मचारियों का नवीन सदस्य बनाया जाकर भविष्य निधि राशि कटौती किये जाने के संबंध में।**

निर्णयः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, ब्लॉक–डी, स्कीम 32–, इन्दिरा गांधी व्यावसायिक परिसर, पंडरी, रायपुर (छ.ग.) का पत्र No-EPF/RO/RPR/ENF/CC&I/CG/File No-148/837 Date 09-09-2026 के माध्यम से प्राप्त जानकारी एवं श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या CG-DL-E-17092026-276299 नई दिल्ली 17 सितम्बर 2026 जारी अधिसूचना अनुसार भारत सरकार के निर्देशानुरूप वर्तमान में अधिसूचित मासिक मानदेय सीमा दर ₹25,000/– से अधिक वेतन पाने वाले राज्य व जिला स्तर में कार्यरत ऐसे समस्त कर्मचारी जो वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में सदस्य नही है, उक्त कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में सदस्य बनाया जाकर नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि राशि की कटौती किये जाने के निर्देश दिये गये है।

समिति द्वारा दिये गए अन्य निर्देश –

- भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त आर.ओ.पी. वर्ष 2026–27 में स्वीकृति अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत ऐसे संविदा कर्मी जिन्होने 01 अप्रैल 2026 की स्थिति में एक ही पद पर 01 वर्ष या अधिक की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो उन्हे

वार्षिक कार्यमूल्यांकन वर्ष 2025–26 के आधार पर 05 प्रतिशत वेतन वृद्धि लाभ दिनांक 01.04.2026 को आधार मानकर गणना कर एरियर्स सहित वेतन का भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

(कार्यवाही–मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

एजेंडा क्र. 10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वीकृत आर.ओ.पी के FMR Code 194.3.1.8 मद में स्वीकृत बजट के पुनः आबंटन की स्वीकृति के संबंध में।

निर्णयः प्रस्ताव अनुरूप राज्य समीक्षा मिशन (SRM) हेतु प्रत्येक जिले के लिए ₹1–00 लाख की राशि स्वीकृति दी गई है।

(कार्यवाही–मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

एजेंडा क्र. 11 स्वास्थ्य केन्द्रों (मॉडल अस्पताल) को सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु जिलों को बजट के पुनः आबंटन (Reallocation of ROP) की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

निर्णयः वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुपूरक बजट अंतर्गत 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी एवं कुनकुरी) को मॉडल अस्पताल सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु राशि संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (डी.एच.एस.) से जिलों को आबंटित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु कार्यकरिणी समिति से सहमति प्रदान की गई ।

(कार्यवाही–मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

एजेंडा क्र. 12 जिला अस्पताल पंडरी, रायपुर में निर्माणाधीन F, G एवं H टाइप आवासगृहों के निर्माण कार्य हेतु पुनः आबंटन (Reallocation of ROP) की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

निर्णयः जिला अस्पताल पंडरी, रायपुर में निर्माणाधीन F, G एवं H टाइप आवासगृहों के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 08.64 लाख (Liability) के पुनः आबंटन (Reallocation of ROP) की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु सहमति प्रदान की गई ।

(कार्यवाही–मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

अन्य विषय अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन से।

एजेंडा क्र. 13 **RoP 2026–27 में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत FMR Code 204.2.7 में स्वीकृत राशि का उपयोग किए जाने हेतु कार्यकारी समिति की बैठक में एजेंडा प्रस्तावित किए जाने के संबंध में।**

निर्णयः RoP 2026–27 में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत FMR Code 204.2.7 में स्वीकृत राशि का उपयोग किए जाने हेतु कार्यकारी समिति की बैठक में एजेंडा प्रस्तावित किए जाने के संबंध में संबंधित शाखा से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर FMR Code 204.2.7 में मुद्रण कार्य संपन्न होने के उपरांत उपलब्ध शेष राशि रु. 123.62 लाख का उपयोग राज्य स्तर पर राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त स्वीकृति के अंतर्गत निम्नलिखित IEC गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी :–

1. समाचार चैनलों के माध्यम से प्रचार–प्रसार (03 चैनल)
2. डिजिटल वॉल पेंटिंग (4,500 स्थान)
3. स्थानीय ट्रेनों में IEC गतिविधियां (05 ट्रेन)
4. स्थानीय एवं सिटी बसों में IEC गतिविधियां
5. LED स्क्रीन के माध्यम से प्रचार–प्रसार (29 स्थान)

साथ ही, LED स्क्रीन के माध्यम से किए जाने वाले प्रचार–प्रसार में अन्य वेक्टर जनित रोगों संबंधी IEC संदेशों को भी सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा एन.एच.एम.–आर.ओ.पी. 2026–27 के अंतर्गत एसपीएमयू (SPMU) एवं संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (DHS) स्तर पर संचालित किए जाने वाले समस्त आईईसी (IEC) संबंधी कार्यों को संवाद **(Samvad)** के माध्यम से संपादित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।

(कार्यवाही–मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

एजेंडा क्र. 14 राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत पोस्ट आफिस एवं संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के बीच एन.टी.ई.पी. के विभिन्न गतिविधियो हेतु एम.ओ.यू. किये जाने विषयक।

निर्णय: राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत पोस्ट आफिस एवं संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के बीच एन.टी.ई.पी. के विभिन्न गतिविधियो जैसे "Transport and delivery of anti-TB drugs, diagnostic reagents, and non-cold chain laboratory consumables from the central warehouse to all district-level health destinations across the state of chhattisgarh", – all districts. " Transport of sputum samples from district headquarter to IRL – all districts ,oa Transport of sputum samples from periphery to NAAT sites (block and HQ) – pilot in three district (Bijapur, Balrampur, Bilaspur) हेतु एम.ओ.यू. किये जाने हेतु अनुमति प्रदान कि जाती है। वित्तीय वर्ष 2026–27 मे आर.ओ.पी. कोड कमांक 73.6- "NTEP - TB (DSTB) - Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport)" मे रू 274.45 लाख की राशि उपलब्ध है जिसमे से राशि रू 15.00 लाख एस.पी.एम.यू. एजेंसी से डी.एच.एस. एजेंसी मे पूर्नआवंटन कि अनुमति प्रदान की जाती है।

टीबी उन्मूलन हेतु समस्त उच्च जोखिम समूह के व्यक्तियों एवं हाई रिस्क ग्राम/वार्ड में निवासरत व्यक्तियों की हेण्ड हेल्ड एक्स–रे के माध्यम से स्क्रीनिंग हेतु सर्विस डिलिवरी मॉडल अनुसार HLL Life Care Limited द्वारा प्रस्तावित बजट 1 वर्ष हेतु अनुमानित राशि 718000000 रू. (अक्षरी– इक्हतर करोड़, अस्सी लाख रू. मात्र) तथा 3 वर्ष हेतु अनुमानित राशि 2154000000 रू. (अक्षरी– दो सौ पंद्रह करोड़, चालीस लाख रू. मात्र) राज्य/एनएचएम से स्वीकृत कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाने हेतु अनुमति प्रदाय की जाती है।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आर.ओ.पी. के मद कमांक 194.2.5 others - 2 NTEP (Supervision & Monitoring) मे वर्ष 2026–27 मे आर.ओ.पी. मे

इस मद मे DFW मे राशि रू 40.00 लाख की राशि स्वीकृत है, उक्त राशि से जिला महेन्द्रगढ–चिरमिरी–भरतपुर के द्वारा मांग पत्र के अनुरूप राशि रू 14,77,500/– (अक्षरी चौदह लाख ससत्तर हजार पॉच सौ रूपये मात्र) एवं जिला रायपुर को राशि रू 4,80,000/– (अक्षरी चार लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) JOSH Launch program हेतु Re-allotment से किये जाने हेतु अनुमति प्रदान कि जाती है।

(कार्यवाही–मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

एजेंडा क्र. 15 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत LCDC (Leprosy Case Detection Campaign) अभियान के सर्वे दल हेतु इन्सेन्टिव व POL की राशि निर्धारण के संबंध में।

निर्णयः कार्यकारणी समिति बैठक में LCDC अभियान हेतु द्वितीय सदस्य मितानिन को 2.10 रुपए प्रति व्यक्ति स्क्रीनिंग पर इन्सेन्टिव एवं प्रथम सदस्य (RHO–M अथवा RHO–F अथवा मितानिन प्रशिक्षक अथवा CHO) को प्रतिदिन 50 रूपए का POL, कुल कार्य दिवस अनुसार (अधिकतम 30 दिनों हेतु) राशि दिए जाने संबंधी प्रस्ताव को सहमती दी गई।

(कार्यवाही–मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

एजेंडा क्र. 16 **ROP 2026-27** में मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत नवीन गतिविधि के तहत जिलें स्तर पर 108 **Birth Waiting Home** की स्थापना किये जाने हेतु **FMR Code 206.1.1** में स्वीकृत राशि 179.28 लाख को जिलों को आबंटित किये जाने बाबत्।

निर्णयः SPMU में उपलब्ध FMR Code 206.1.1 में स्वीकृत राशि 179.28 लाख रूपये जिलों को आबंटित कये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाही–मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

एजेंडा क्र. 17 **ROP 2026-27** में मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत **FMR Code 201.2.4** में **SBA (SN/ANM/LHV/CHO)** प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत राशि रूपये **215.54** लाख को संबंधित जिले (जहॉ **SBA** प्रशिक्षण केन्द्र है) को आबंटित किये जाने के संबंध में।

निर्णयः FMR Code 201.2.4 में SN/ANM/LHV/CHO के SBA प्रशिक्षण हेतु SPMU में उपलब्ध राशि 215.54 लाख को संबंधित जिलों को आबंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाही–मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

एजेंडा क्र. 18 **ROP 2026-27** में मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत **FMR 201.2.5** में **LSAS, CEmONC (Life Saving Aneasthesia Skill, Comprehensive Emergecy Obstetric Care)** के तहत गतिविधी **(LSAS/CEmONC** प्रशिक्षण व मेडिकल कॉलेज बस्तर में **CEmONC Centre Establishment)** हेतु स्वीकृत राशि रूपये **158.40** लाख संबंधित मेडिकल कॉलेज (रायपुर, सरगुजा एवं जगदलपुर) को आबंटित किये जाने के संबंध में।

निर्णय: वर्ष 2026–27 में उपरोक्त गतिविधी हेतु स्वीकृत राशि 158.40 लाख रूपये संबंधित मेडिकल कॉलेज (रायपुर, सरगुजा एवं जगदलपुर) को आबंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाही–मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

एजेंडा क्र. 19 **ROP 2026-27 में मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत FMR Code 4.1 में MH - JSSK – For Free Drugs and Consumables,** के तहत स्वीकृत राशि 2270.00 लाख को जिलों को आबंटित किये जाने विषयक।

निर्णय: एजेंसी मद अंतर्गत संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (DHS) में उपलब्ध उपरोक्त स्वीकृत राशि 2270.00 लाख रूपयें जिलों को आबंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाही–मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

एजेंडा क्र. 20 जिला अस्पताल जगदलपुर में पूर्व में आपूर्ति किए गए 01 नग **DG Set** (30 KVA) के लंबित भुगतान हेतु **Revalidation** में स्वीकृत राशि ₹2,58,577/– का मातृत्व शाखा से शिशु स्वास्थ्य शाखा के **RCH-3 S-No 24** के **FBNC** मद में बजट हस्तांतरण किए जाने बाबत।

निर्णय: जिला अस्पताल जगदलपुर में पूर्व में आपूर्ति किए गए 01 नग DG Set (30 KVA) के लंबित भुगतान हेतु स्वीकृत राशि ₹2,58,577/– को मातृत्व शाखा से शिशु स्वास्थ्य शाखा के RCH 3 S-No- 24 के FBNC मद में हस्तांतरण किये जाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही–मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

एजेंडा क्र. 21 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ROP 2026–27 के अंतर्गत प्रावधानित राशि ₹420 लाख को जिलों में आबंटित/हस्तांतरित करने बाबत।

निर्णय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ROP 2026-27 के अन्तर्गत राज्य के 210 स्वास्थ्य केन्द्रों (Facilities) के लिये FMR Code 116.3 (Dental Consumables) हेतु कुल ₹ 420 लाख की राशि स्वीकृत/प्रावधानित की गई है।

प्रावधानित राशि का विवरण प्रति स्वास्थ्य केन्द्र निम्नानुसार है:

- Dental Consumables, सूक्ष्म (Minor) उपकरण एवं डेंटल मटेरियल आदि: ₹ 1.5 लाख प्रति स्वास्थ्य केन्द्र।
- डेंटल लैब अनुबंध (बत्तीसी, RPD, फिक्स दांत इत्यादि): ₹ 0.5 लाख प्रति स्वास्थ्य केन्द्र।
- अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार राज्य कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (SPMU) में रखी हुई राशि (फंड) को जिलों में हस्तांतरित (Transfer) किया जाना है।

(कार्यवाही–मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त निर्देश –

1. **बजट का पुनर्विनियोजन**– मार्च 2027 की स्थिति में उपलब्ध अनुमानित शेष राशि (Expected Balance) में से जिन बजट मदों में व्यय की संभावना नहीं है, उन मदों की राशि को आवश्यकतानुसार अन्य मदों में व्यय किए जाने की अनुमति प्रदान की गई।
2. **प्रशिक्षण कार्यक्रम का साझाकरण**– राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के माध्यम से आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एसएचएसआरसी (SHSRC) एवं अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ साझा कर संयुक्त रूप से संचालित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई।
3. **महाधिवक्ता की सेवाएं**– एनएचएम से संबंधित प्रकरणों में आवश्यकता एवं प्रकरण की प्रकृति के अनुसार महाधिवक्ता (Advocate General) की सेवाएं लिए जाने की अनुमति प्रदान की गई।
4. **स्क्रीनिंग हेतु एचएलएल की सेवाएं** – टीबी कार्यक्रम का स्क्रीनिंग के अतिरिक्त अन्य बीमारियों के स्क्रीनिंग कार्यक्रमों के आयोजन हेतु भी एचएलएल (HLL) की सेवाएं लिए जाने की अनुमति प्रदान की गई।
5. पीएम–अभीम **(PM-ABHIM)** अंतर्गत निर्माण कार्यों के संबंध में– (PM-ABHIM) योजना के अंतर्गत सीजीएमएससी (CGMSC) द्वारा पूर्ण किए जा रहे निर्माण कार्यों वाले स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक उपकरणों की खरीदी एवं मानव संसाधन की पूर्ति किए जाने की अनुमति प्रदान की गई।
6. **आईईसी (IEC) गतिविधियों के संचालन के संबंध में**– एन.एच.एम. आर.ओ.पी. 2026–27 के अंतर्गत एसपीएमयू (SPMU) एवं डीएचएस (DHS) स्तर पर संचालित किए जाने वाले समस्त आईईसी **(IEC)** संबंधी कार्यों को संवाद **(Samvad)** के माध्यम से संपादित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही, संबंधित समस्त कार्यों को आवश्यक दिशा–निर्देशों एवं निर्धारित गाइडलाइन सहित संवाद को हस्तांतरित किए जाने के निर्देश दिए गए।
7. शासकीय अस्पतालों में फायर फाइटिंग सिस्टम स्थापित किये जाने के उद्देश्य से एन.एच.एम. आर.ओ.पी. 2026–27 के अंतर्गत Revalidation में राज्य के 20 जिला अस्पताल हेतु रु 65–65 लाख एवं 33 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु रु 30–30 लाख के मान से कुल राशि रु 2290.00 लाख स्वीकृती प्राप्त है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CCGMSC) रायपुर से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार फायर फाइटिंग सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु अतिरिक्त राशि रु 317.3 लाख की मांग की गयी है। उक्त प्रकरण में समिति के द्वारा अतिरिक्त मांग राशि को एन.एच.एम. आर.ओ.पी. 2026–27 के अंतर्गत उपलब्ध मदों में उपलब्ध स्वीकृत बजट में से Reappropriate कर किये जाने की अनुमति प्रदान किया गया।
8. शासकीय अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न माध्यमों से PSA प्लांट स्थापित किये गए है जिसके रख रखाव, मरम्मत एवं संचालन हेतु वर्तमान में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, उक्त को ध्यान में रखते हुए एन.एच.एम

आर.ओ.पी. 2026–27 के अंतर्गत कोड 205 में पी.एम. केयर द्वारा स्थापित PSA प्लांट के रख रखाव, मरम्मत एवं संचालन हेतु राशि रु 303.3 लाख स्वीकृति प्राप्त हुआ है, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CCGMSC) रायपुर से प्राप्त प्राक्कलन अनुसार 115 PSA प्लांट हेतु कुल राशि रु 1337.74 लाख की मांग की गयी है जिसमे से रु 1034.44 लाख अतिरिक्त मांग बजट है। अतः उक्त प्रकरण में समिति के द्वारा अतिरिक्त मांग राशि को एन.एच.एम. आर.ओ.पी. 2026–27 के अंतर्गत उपलब्ध मदों में उपलब्ध स्वीकृत बजट में से Reappropriate कर किये जाने की अनुमति प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)

अंत में मिशन संचालक द्वारा सचिव महोदय तथा उपस्थित समस्त सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
SANJEEV KUMAR JHA
Date: 25-11-2026
10:22:58

आयुक्त सह, संचालक,
स्वास्थ्य सेवाएं सह
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / एन.एच.एम. / 2026 / 8255 नया रायपुर, दिनांक 25 / 11 / 2026

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ शासन, अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
3. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन, अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, आयुष, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मंत्रालय, अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
6. परियोजना संचालक, राज्य एड्स नियंत्रण समिति, कालीबाड़ी, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
7. संचालक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
8. संचालक, महामारी नियंत्रण, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
9. वरिष्ठ संचालक, आर.एल.टी.आर.आई. प्रतिनिधि भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लालपुर, रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
10. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
11. संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
12. संचालक, शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
13. संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।

14. वित्त नियंत्रक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
15. अपर संचालक–स्वास्थ्य सेवाएं/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
16. अपर संचालक–वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
17. समस्त संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
18. समस्त उपसंचालक/राज्य कार्यक्रम अधिकारी/नोडल अधिकारी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
19. समस्त कार्यक्रम प्रबंधक/कार्यक्रम समन्वयक/राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
20. कार्यालयीन प्रति।

—सही—
आयुक्त सह, संचालक,
स्वास्थ्य सेवाएं सह
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

परिशिष्ट - अ

कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 03.11.2026 में उपस्थित सदस्यगण

क्र.	नाम	पदनाम	विभाग
1	श्री अमित कटारिया (भा.प्र.से.)	सचिव	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
2	श्री संजीव कुमार झा (भा.प्र.से.)	आयुक्त सह संचालक सह मिशन संचालक	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ शासन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ.ग.
3	श्री रितेश अग्रवाल (भा.प्र.से.)	प्रबंध संचालक	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन, छत्तीसगढ शासन
4	श्री राजेन्द्र कुमार कटारा (भा.प्र.से.)	विशेष सचिव सह संचालक	छत्तीसगढ शासन, आयुष संचालनालय
5	श्री इंद्राजीत बर्मन	अतिरिक्त संचालक	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ शासन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ.ग.
6	श्री यू.के. राठिया	कार्यपालन अभियंता	लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ शासन
7	श्री टेकचंद अग्रवाल	अतिरिक्त संचालक	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ शासन, नवा रायपुर
8	श्री ओ.पी. देवांगन	सहायक संचालक	शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ शासन,

बैठक में उपस्थित अन्य विभागीय अधिकारीगण

क.	नाम	पदनाम	विभाग
1	श्री भावेश दुबे	अपर संचालक, वित्त	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
2	डॉ. व्ही. आर. भगत	उपसंचालक (शिशु स्वास्थ्य), (NVBDCP)	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
3	डॉ. संजीव मेश्राम	उपसंचालक	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
4	डॉ. के.के. साहरे	उपसंचालक	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
5	डॉ. स्मृति देवांगन	उपसंचालक	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
6	डॉ. अजयशंकर कन्नौजे	उपसंचालक	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
7	डॉ. भेनुज सिन्हा	उपसंचालक	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
8	डॉ. अभ्युदय शक्ति तिवारी	अपर संचालक	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
9	डॉ. प्रदीप टंडन	राज्य कार्यक्रम प्रबंधक	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
10	श्री शैल्विन मिका	राज्य वित्त प्रबंधक	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
11	श्री आनंद कुमार साहू	कार्यक्रम प्रबंधक (M&E)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
12	डॉ. मो. जावेद कुरैशी	कार्यक्रम प्रबंधक (Planning)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
13	श्री सी. सी. संतोष	कार्यक्रम प्रबंधक (HMIS)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
14	श्री महेश सिंह	राज्य सलाहकार	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
15	डॉ. नितिश परघनिया	राज्य सलाहकार	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
16	डॉ. प्रेमप्रकाश आनंद	राज्य सलाहकार	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
17	डॉ. रणवीर बघेल	राज्य सलाहकार	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
18	श्री साहिल मसीह	राज्य सलाहकार	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
19	डॉ. आनंद वर्मा	राज्य सलाहकार	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
20	डॉ. चिन्मय दास	राज्य सलाहकार	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
21	श्रीमती नम्रता बिंझवार	राज्य सलाहकार	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
22	डॉ. मनीषा दमानी	राज्य सलाहकार	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
23	श्री राकेश वर्मा	राज्य सलाहकार	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
24	श्री वरूण दत्त झा	राज्य सलाहकार	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
25	डॉ. नरेन्द्र सिन्हा	राज्य सलाहकार	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
26	श्री मुकेश राठौर	प्रोग्राम एसियोटेट	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
27	श्री भीष्म आनंद	कार्यकारी संचालक,	SHSRC
28	श्री अमित कल्याणी	एफएम	SHSRC